

सिने और टीवी कलाकारों की एसोसिएशन

का

प्रस्तावित संविधान

(भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत पंजीकृत - पंजीकृत सं। 3086)
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्टर्स (एफआईए) से संबद्ध

1. नाम

एसोसिएशन का नाम सिने और टीवी कलाकार संघ (बाद में एसोसिएशन के रूप में संदर्भित) (15/08/1997) होगा।

2. स्थान

एसोसिएशन का मुख्यालय ग्रेटर मुंबई में स्थित होगा।

3. उद्देश्य

सिने और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (सिन्टा) एक स्वायत्त एसोसिएशन होगी जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये कार्य करेगी:

- (ए) अपने सदस्यों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को विकसित करना और उनके नियोक्ताओं के साथ उनके व्यावसायिक संबंधों को विनियमित करना;
- (बी) सदस्यों की व्यावसायिक और कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित मामलों में अपने सदस्यों के हितों, अधिकारों और विशेषाधिकारों को सुरक्षित करना। हालांकि, एसोसिएशन अपने सदस्यों के लिए रोजगार या ठेके / असाइनमेंट मुहैया कराने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।
- (सी) अपने सदस्यों के बीच व्यावसायिक आचरण और निष्ठा के उच्च मानदण्डों को बढ़ावा देना और कम दरों पर कार्यशालाएं आयोजित करके उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उनके कौशल को बढ़ावा देना।
- (डी) सदस्यों और निर्माताओं, निर्देशकों, स्टूडियो, टीवी नेटवर्क, वेब नेटवर्क, नियोक्ता आदि के बीच में उनके अनुबंधों या समझौतों की शर्तों के किसी भी तरह के उल्लंघन से उपजे पेशेवर विवादों में मध्यस्थता करना तथा उन्हें निपटाना।
- (ई) बीमारी, बेरोजगारी, दुर्बलता, बुढ़ापे और मृत्यु होने की स्थिति में अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करने का प्रयास करना।
- (च) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम तथा अन्य संबद्ध विधानों / कानूनी और न्यायसंगत विधियों के तहत दुर्घटना के मामलों में सदस्यों को मुआवजे की रकम दिलाने का प्रयास करना।।
- (छ) सदस्यों को प्रासंगिक या उनके रोजगार से जुड़े मामलों में, कानूनी सहायता या सलाह उपलब्ध कराना, जिसमें कानूनी परामर्श और अन्य सहायक सेवायें सम्मिलित हैं। इनका मापदण्ड और आधार ऐसे मामले होंगे जहां आमतौर पर कलाकारों के अधिकारों का हनन हो रहा हो। ऐसे मामलों की जांच की जायेगी और क्या कानूनी कार्रवाई करनी है, इसका निर्णय कार्यकारी समिति करेगी।
- (एच) कलाकारों या अभिनय से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्रीय या राज्य सरकारों या फिल्म उद्योग या अन्य निकायों द्वारा प्रतिनिधिमंडलों, कमीशन, समितियों आदि के गठन होने की स्थिति में अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने का प्रयास करेगी।
- (आई) सिने और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए, भारत के भीतर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी व्यक्ति या संगठन, निजी या सरकारी, के साथ सहयोग करना, जिसमें इसके सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा और

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कलाकार विनिमय कार्यक्रम तथा ऐसी पहल शामिल है जो कि सिन्टा सदस्यों के साथ-साथ अन्य कलाकारों को अपने कौशल को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

- (जे) भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम के अनुसार, इस नियम में उल्लिखित उद्देश्यों के प्रचार के लिये भारत तथा भारत से बाहर कामकाजी वर्गों की सहायता करना; और आम तौर पर, सदस्यों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए आवश्यक अन्य जरूरी कदम उठाना।
- (के) इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एसोसिएशन विभिन्न स्थानों पर केंद्रों / शाखाओं की व्यवस्था कर सकती है।
- (एल) एसोसिएशन को जनता और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना।
- (एम) देश के विभिन्न हिस्सों में एसोसिएशन की शाखाएं शुरू करना और समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं के साथ समन्वय / शुरू करना।
- (एन) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी प्रासंगिक या अनुकूल कार्य करना

4. एसोसिएशन का वित्तीय वर्ष: -

एसोसिएशन का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा।

5. परिभाषा: - सिन्टा की सदस्यता किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कलाकार के लिए होती है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से एक कलाकार के रूप में प्रदर्शन करने के लिए सक्षम है और जो फीचर फिल्म, टीवी धारावाहिक, टेली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या, लाइव प्रदर्शन, स्क्रीन पर प्रदर्शित विज्ञापन फिल्में, डिजिटल या किसी भी नए मीडिया से जुड़ा है जो भारत संघ की सीमा के भीतर हैं।

- i. **विदेशी नागरिक** और साथ ही अप्रवासी भारतीय भारतीय सीमित समय के लिए वर्क परमिट प्राप्त कर सकते हैं। यह वर्क-परमिट एक वर्ष या परियोजना / वैध पासपोर्ट और रोजगार वीजा की वैधता की अवधि, जो भी कम होगा, के लिए 10,000 रुपए की फीस का भुगतान करने पर सीमित समय के लिए दिया जाएगा।

6. सदस्यता के चरण: -

- ii. **कार्य-परमिट प्रथम वर्ष: -** सदस्य बनने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित फॉर्म (हाथ से भरकर या ऑनलाइन) विधिवत रूप से भरकर और सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करेगा जैसा कि एक वर्ष की वर्क परमिट के लिए बताया गया है। साथ में प्रवेश शुल्क के रूप में 10,000 रुपये (गैर-वापसी योग्य) का चेक / पे ऑर्डर / ऑनलाइन द्वारा जमा करायेगा।

पात्रता: (जांच समिति को यह अधिकार है कि वह ईसी की अनुमति से एसोसिएशन का कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रशासनिक दिशानिर्देश तैयार कर सकती है)

- एक वर्ष का प्रशिक्षण/डिप्लोमा/डिग्री आदि सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र। (मूल तथा प्रतिलिपि) और साथ में आवेदन-पत्र में दिये गये आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
अथवा
 - डीवीडी शो रील या लिंक का प्रमाण।
अथवा
 - नए कलाकार- किसी प्रोडक्शन हाउस/चैनल से किसी फिल्म/टीवी शो के लिये किये गये महत्वपूर्ण किरदार से संबंधित रोजगार पत्र या सिन्टा के कार्यालयमें कैमरा के सामने दिया हुआ ऑडिशन
 - किसी भी आवेदक को सिन्टा कार्यालय में एक साक्षात्कार / ऑडिशन के लिए बुलाया जा सकता है, यदि वह उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ है या यदि जांच समिति द्वारा ऐसा करना आवश्यक हो।
- ii. **कार्य-परमिट दूसरे वर्ष:** एक वर्क परमिट धारक 10,000 / - रुपये प्रवेश शुल्क भरकर पहले वर्ष के वर्क परमिट से समापन की तारीख से 30 दिनों के अंदर दूसरे वर्ष के लिये नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। वह ऐसा पहले वर्ष के वर्क परमिट की समाप्ति के 30 दिनों बाद भी कर सकता/सकती है, लेकिन पहले वर्ष के वर्क परमिट की समाप्ति से हर महीने 500/- रुपये विलम्ब शुल्क भरकर और विलम्ब के लिये उपयुक्त

प्रमाण/कारण देकर कर सकता/सकती है। दूसरे वर्ष के लिये वर्क परमिट पहले वर्ष की समाप्ति की तारीख से ही किया जायेगा न कि शुल्क के भुगतान की तारीख से। और इसके लिये भुगतान किये गये शुल्क को किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

1 वर्ष की कार्य-परमिट की समाप्ति की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर अपने दूसरे वर्ष के कार्य-परमिट को नवीनीकरण करने में विफल रहने के मामले में, उसके कार्य-परमिट को रद्द माना जाएगा। हालांकि, वह एक फिर से पहले वर्ष के कार्य-परमिट के लिए आवेदन कर सकता/सकती है।

इन दो वर्षों की अवधि के दौरान वर्क परमिट धारक चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकेगा/सकेगी। लेकिन अगर उसका कोई कलाकार विवाद मामला है, और वह विवाद पहले वर्ष के लिये जारी वर्क परमिट की अवधि से पहले का नहीं है, तो उस मामले को वर्क परमिट अवधि के दौरान एसोसियेशन ले सकती है।

iii. **नियमित सदस्यता:** लगातार दो वर्षों के वर्क परमिट (कार्य-अनुमति) के सफल समापन के बाद ही दी जाएगी। पिछले दो वर्षों में सदस्य के कार्य और आचरण के बारे में साक्षात्कार / ऑडिशन / मूल्यांकन किया जाएगा और सदस्य को उसके अधिकारों और एसोसिएशन के प्रति उसके कर्तव्यों के बारे में बताया जाएगा। यदि उसकी नियमित सदस्यता पर विचार करके उसे दाखिल किया जाता है, तो उसे एक बार देय 10,000 रुपये का प्रवेश शुल्क, और साथ ही सदस्यता कल्याण निधि हेतु 500 रुपये, तथा 1200 रुपये प्रति वर्ष का वार्षिक शुल्क देना होगा। (1200 रुपये प्रति वर्ष का नियमित वार्षिक शुल्क 1 जनवरी 2017 से सभी नियमित सदस्यों के लिए प्रभावी है)। दूसरे वर्ष के वर्क परमिट धारक को, दूसरे वर्ष के वर्क परमिट के समापन की तारीख से पहले तीसरे वर्ष में नियमित सदस्यता के लिए आवेदन करना होगा। वह ऐसा दूसरे वर्ष के वर्क परमिट के समाप्त होने की तारीख से 12 महीने के अन्दर बिलंब के लिए वैध व उचित प्रमाण / कारण के साथ प्रति माह 500 रुपये का बिलंब शुल्क भर कर भी कर सकता / सकती है। यदि वह दूसरे वर्ष के वर्क परमिट के समाप्त होने की तारीख से 12 महीने के अन्दर तीसरे वर्ष की नियमित सदस्यता के लिए आवेदन नहीं करता / करती, तो उसे नियमित सदस्यता का पात्र होने के लिए फिर एक बार पहले और दूसरे वर्ष के वर्क परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा।।

• वरिष्ठ या प्रतिष्ठित कलाकारों के लिए ईसी, 30,000 / का पूरा प्रवेश शुल्क - सदस्यता कल्याण निधि 500/- रुपये तथा 1200/- रुपये प्रतिवर्ष के नियमित अंशदान का भुगतान करके सीधे नियमित सदस्यता प्रदान कर सकती है। यह उन पूर्व सदस्यों पर भी लागू होगा जिनका नाम अंशदान शुल्क का भुगतान न करने के कारण सिन्टा से रद्द कर दिया गया था या वे पूर्व सदस्य जिन्होंने भुगतान नहीं किया था पर अपना पुराना रजिस्टर्ड क्रमांक कायम रखने के लिए अब बकाया राशि के साथ सारा भुगतान करने को तैयार हैं।

iv. **आजीवन सदस्य:** जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है और लगातार सात वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली है और उसका कोई बकाया नहीं है, वह 15,000 रुपये सदस्यता शुल्क भरकर आजीवन सदस्यता के लिये आवेदन कर सकता/सकती है।

• वह किसी फीचर फिल्म और/या टीवी सीरियल या टेलीफिल्म, डिजिटल या अन्य किसी माध्यम में, छः महत्वपूर्ण किरदार कर चुका/चुकीहो, किसी एक सीरियल में दो-तीन साल तक लगातार एक ही किरदार कर चुका/चुकी हो। तथापि, अंतिम निर्णय कार्यकारी समिति का होगा।

v. **बाल कलाकार:**

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना जायेगा।

सरल पहचान के लिये बाल कलाकार के लिये अलग डिज़ाइन कार्ड होगा।

ए. सिन्टा यह पूरा प्रयास करेगा कि प्रोडक्शन हाउस समय पर अच्छी क्वालिटी के खाना, फल तथा साफ पानी और बाथरूम सहित अलग कमरे की व्यवस्था करेगा। निर्माता बाल कलाकारों के लिये शूटिंग के बीच में जब खाली समय हो तो सेट पर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेगा।

बी. शूटिंग के दौरान बच्चों के माता-पिता/अभिभावक/केयरटेकर को रहने की अनुमति दी जाये।

सी. रीयलिटी शो के मामले में, यदि वह अपने साथी कलाकारों के मुकाबले अपने कमज़ोर प्रदर्शन के कारण राउंड से हटा दिया जाये तो शो के जज उसे उल्टी-सीधी / तीखी टिप्पणियां न करें। इससे बच्चा अपमानित महसूस करके डिप्रेसन का शिकार हो सकता है।

डी. सेट पर उचित चिकित्सा सहायता/डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिये।

- ई. किसी भी बाल कलाकार को बिना किसी उचित कारण के निकालकर किसी और को न लिया जाये, यदि ऐसा हो तो उसके अभिभावकों/माता-पिता को एक महीने पहले सूचित कर दिया जाये।
- एफ. एक ऐकेडमिक वर्ष में बच्चा 10 दिन से अधिक अनुपस्थित न रहे।
- जी. बाल कलाकारों के लिये कार्य के घंटे और कार्य स्थितियां पूरी तरह से महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार हों।
- एच. शूटिंग के दौरान मेकअप और लाइटें बच्चे के अनुकूल हों।
- आई. बाल अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिये, जैसे भोजन का समय न रखना और बाल शोषण के विरुद्ध नीति का पालन किया जाना चाहिये।
- जे. बाल कलाकार आजीवन सदस्यता का पात्र नहीं है।

बच्चों के लिये भुगतान

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कानूनी रूप से बैंक खाते में लेन-देन करना या अनुबंध जैसे कानूनी कागजात पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है। इसलिये उनके काम की फीस उसके पाता-पिता/अगले संबंधी/अभिभावक हैं, उनके संरक्षण में फिक्स डिपॉजिट के रूप में दी जानी चाहिये। इसमें से 50% बच्चों के लिये फिक्स डिपॉजिट या बॉण्ड के रूप में हो, जो बच्चे को तब मिले जब वह 18 वर्ष का/की हो जाये। 50% जो मता-पिता/अभिभावक को दिया गया है उसमें से बच्चे की उस वर्ष की स्कूल फीस भर दी जाये ताकि बच्चे की पढाई चलती रहे, जो एक तरह से माता-पिता की ही सहायता है। माता-पिता बच्चे के प्राकृतिक तौर पर औपचारिक अभिभावक होंगे, जब तक कि ऐसे कोई मामला न बनता हो कि ऐसा मानना बच्चे के हित में नहीं है।

7. मानद सदस्य:-

ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जो एसोसियेशन के कल्याण के लिये कार्य करना चाहते हैं वे एसोसियेशन के मानद सदस्य के रूप में आ सकते हैं। ऐसे मानद सदस्यों की सदस्यता की अवधि मौजूदा कार्यकारी समिति की अवधि के अनुरूप ही रहेगी। भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार, उनकी संख्या 3 (तीन) से अधिक नहीं हो सकती। मानद सदस्य केवल निमंत्रण पर ही बैठकों में भाग ले सकते और भाषण दे सकते हैं। तथाति, उन्हें मताधिकार नहीं होगा।

ए. छूट-प्राप्त सदस्य:-

- सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसियेशन के ऐसे वरिष्ठ सिने और टीवी कलाकार सदस्य, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो चुकी है और पिछले बीस वर्षों से फिल्मों में काम कर रहे हैं तथा पिछले पांच वर्षों से एसोसियेशन के नियमित सदस्य हैं एवं नियमित रूप से अपना अंशदान भर रहे हैं, उन्हें वार्षिक अंशदान से छूट दी जा सकती है। इसके लिये उन्हें कार्यकारी समिति को अपने काम के प्रमाण के साथ आवेदन करना होगा। ऐसे छूट-प्राप्त सदस्यों को चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार नहीं होगा। तथापि, उन्हें सदस्यों को प्राप्त अन्य सभी लाभ मिलते रहेंगे। नियमित सदस्यता पुनः प्राप्त करने के लिये, छूट-प्राप्त सदस्यों को छूट-प्राप्त अवधि के बकाया का सारा भुगतान करना होगा।
- सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसियेशन के ऐसे वरिष्ठ सिने और टीवी कलाकार सदस्य, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो चुकी है निरंतर 15 वर्षों से एसोसियेशन के सदस्य हैं, उन्हें आजीवन एसोसियेशन के मासिक अंशदान से छूट मिलनी चाहिये। ऐसे सदस्यों को चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार होगा।

8. सदस्यता की समाप्ति:-

किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है यदि-

- यदि कोई सदस्य कार्यकारी समिति से अनुरोध करता है कि उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाये, तो वह अपने सारे भुगतान करके, यदि कोई हों, ऐसा कर सकता है।
- यदि वह अपनी नियमित सदस्यता की समाप्ति की तारीख से 12 महीनों के अंदर, नवीनीकरण नहीं कराता/कराती है, तो 13 वें महीने से नियमित अंशदान के अतिरिक्त 100 प्रति माह दण्ड लगाया जायेगा। तथापि, नवीनीकरण की तारीख के बाद, 60 महीनों तक, बकाया शुल्क और विलम्ब-शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी। उसके बाद यदि सदस्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसे फिर से एक नये सदस्य की तरह सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
- किसी भी ऐसे सदस्य को निष्कासित कर दिया जाएगा, जिसका कोई भी कृत्य सिन्टा और / या सिन्टा के हितों और / या इसके किसी भी सदस्य के हितों और / या वर्क परमिट धारकों और / या किसी अन्य सहयोगी, अफिलियेट और / या संबंधित पक्ष के प्रत्यक्ष और / या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल हो, पक्षपातपूर्ण हो, निंदनीय

हो, अपमानजनक हो और / या लेकिन ऐसे कृत्य में सोशल मीडिया और / या किसी भी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर पोस्टिंग और / या किसी ऐसी सामग्री को अपलोड करना और / या प्रिंट मीडिया में देना भी शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि, सिन्टा सदस्यों की शिकायतों पर खुले दिमाग से विचार करेगी और कार्यकारी समिति तुरंत उसा पर गौर करेगी तथा उसकी छानबीन और जांच करेगी। यदि उप-खंड 8 (गी (1) में उल्लिखित उपर्युक्त कृत्यों में से कोई भी सदस्य द्वारा किया जाता है तो उक्त सदस्य को कार्यकारी समिति द्वारा नियत तारीख और समय पर बुलाया जायेगा और इस बैठक में सदस्य को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा तथा कार्यकारी समिति द्वारा लिया गया निर्णय सदस्य पर बाध्य होगा और उसके बाद सदस्य को निष्कासित कर दिया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सदस्य को कार्यकारी समिति की उक्त बैठक में उपस्थित रहने के लिये एक नोटिस दिया जायेगा और यदि उक्त सदस्य किसी भी कारण से बैठक में भाग नहीं लेता है और/या कार्यकारी समिति की दृष्टि में वह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है, तो उसे उक्त बैठक में निष्कासित कर दिया जायेगा तथा इसका कोई दायित्व सिन्टा पर नहीं होगा। उसके बाद उक्त सदस्य को इस निष्कासन के विषय में लिखित में सूचित कर दिया जायेगा। यदि इस प्रकार से निष्कासित सदस्य की बात इस बैठक में उसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं सुनी जा सकती है, तो वह इस बैठक के 15 दिनों के अंदर सिन्टा से बैठक के लिये लिखित अनुरोध कर सकता है और कार्यकारी समिति तदनुसार उसे अपने आचरण के स्पष्टीकरण के लिये अवसर प्रदान करेगी। यदि इस बैठक में सदस्य का स्पष्टीकरण नहीं आता है या कार्यकारी समिति की राय में संतोषजनक नहीं है, तो सदस्य के निष्कासन पर अगलीसाधारण बैठक में चर्चा की जा सकती है या कार्यकारी समिति उचित समझती है तो असाधारण बैठक में चर्चा की जा सकती है तथा निष्कासन को रद्द करने का कोई भी निर्णय सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य के पक्ष या विपक्ष में डाले गये मतों की गिनती के आधार पर होगा। सदस्य इस बात को समझ लें कि असाधारण बैठक का आयोजन बेहद खर्चीला होता है, अतः ऐसा तभी किया जायेगा जब कार्यकारी समिति को लगे कि सभी सदस्यों तथा एसोसियेशन के तौर पर सिन्टा के हित में ऐसा करना अत्यंत अनिवार्य है अन्यथा नहीं। इसके अलावा, निष्कासित सदस्य को सदन में अपना स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जा सकती ताकि सदस्य स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग कर सकें, लेकिन उसे मतदान के समय उक्त बैठक में उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होगी। साधारण बैठक का निर्णय आने तक, उक्त सदस्य सदस्यता के किसी भी विशेषाधिकार का पात्र नहीं होता। (01.05.2016)

9. लाभ:-

- i. परोपकारी कार्यों के अंतर्गत, जो केवल इसी तक सीमित नहीं हैं, बहुत से हस्पताल, डॉक्टर, दंत-चिकित्सक, पैथोलॉजिस्ट, नेत्र-चिकित्सक, प्रतिभा-प्रबंधन, स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि सिन्टा के पैनल में हैं। सदस्य कम दरों पर इनका लाभ उठा सकते हैं।
- ii. सदस्यता पत्र सदस्य के पंजीकृत श्रमिक संगठन के वास्तविक सदस्य होने का प्रमाणित दस्तावेज है, सदस्य का एक पहचान-पत्र जो वीज़ा आदि के लिये भी उपयोगी है।
- iii. सदस्यता पहचान-पत्र से आपकी पहचान, आपके पेशे की पहचान होती है जो कानून व्यवस्था की स्थितियों में लाभदायक सिद्ध हो सकता है।
- iv. फिल्म / टीवी धारावाहिक के संबंध में किसी भी निर्माता के खिलाफ सदस्यों के व्यवसायिक विवाद एसोसिएशन के वर्क परमिट के जारी करने की तारीख के पहले दिन से ही एसोसियेशन द्वारा मान्य होंगे; तथापि, वर्क परमिट जारी करने से पहले के विवादों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, वर्क-परमिट जारी करने या नियमित सदस्यता के मिलने के बाद भी, विवाद जो तीन वर्ष से अधिक समय के हैं, उनपर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, मामले को उठाने का निर्णय कार्यकारी समिति के विवेकाधीन होगा।
- v. सदस्य सिन्टा द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में नाममात्र के शुल्क पर भाग ले सकते हैं।
- vi. **प्रतिपूर्ति:**
 - ए. शूटिंग के दौरान दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में - मृतक के नामिती को 2 लाख रुपये।
 - बी. सदस्य की प्राकृतिक रूप से हुई मृत्यु की स्थिति में सदस्य के नामिती को 1,00,000 रुपये, बशर्ते कि वह मृत्यु के समय या उससे पूर्व सदस्य के तौर पर 5 वर्ष पूरे कर चुका हो।
 - सी. सेट पर दुर्घटना के कारण आंशिक या स्थायी विकलांगता के मामले में और अंग-भंग होने की स्थिति में - 75,000 रुपये।

9-vi (ए तथा बी)} के मामले में, मृतक के नामिती को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही क्षतिपूर्ति की जायेगी: (i) आवेदन-पत्र (ii) सदस्य का मृत्यु प्रमाणपत्र (iii) मृतक सदस्य के कानूनी वारिस के नाम, आयु, व्यवसाय तथा पते सहित शपथपत्र (iv) 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नामिती की ओर से क्षतिपूर्ति जिसमें लिखा हो कि नामिती को दिया गया क्लेम मृतक के सभी कानूनी वारिसों में बांट दिया जायेगा और इसका सारा दायित्व नामिती का होगा, इस बारे में सिन्टा किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी। (v) नामिती की ओर से सिन्टा को लिखा एक पत्र और नामिती की पहचान वाले दस्तावेज। यदि सिन्टा के पास नामिति का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो क्लेम मृतक की पत्नी/पति, यदि कोई है, को दे दिया जायेगा। उपर्युक्त खण्ड {9-vi (ए तथा बी)} के तहत केवल वही सदस्य प्रतिपूर्ति का पात्र होगा, जिसने सिन्टा से जीवन में 'राहत' / वित्तीय सहायता / चिकित्सा सहायता के रूप में सिन्टा और या सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट से कोई मासिक सहायता प्राप्त नहीं की है। उपर्युक्त प्रतिपूर्ति केवल मृतक सदस्य के नामित सदस्य / या पारिवारिक सदस्य को ही प्रदान की जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मुआवजा कल्याणकारी उपाय के रूप में है और किसी भी नियोक्ता के साथ अपने रोजगार के दौरान किसी भी सदस्य / नामिती के द्वारा सिन्टा के खिलाफ उठाए गए किसी भी दावे के तहत देय नहीं है और यह वितरण के लिए यहां दी गई शर्तों के अधीन होगा।

डी. आपात-चिकित्सा राहत, 50,000/- रुपये तक, बशर्ते उसने नियमित सदस्य के तौर पर 5 वर्ष पूरे कर लिये हों।

ई. चिकित्सा / वित्तीय सहायता, 'राहत' एसोसियेशन / सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से केवल उन्हीं जरूरतमंद और पात्र सदस्यों को ही प्राप्त होगी जो आवेदन की तारीख को न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर सिन्टा के सदस्य रहे हों और उसकी आयु 65 वर्ष से ऊपर हो। तथापि, अंतिम निर्णय समिति के विवेकाधीन है।

उपर्युक्त लाभ के अधिकारी वे सदस्य नहीं होंगे, जब तक कि उन्हें छूट न मिली हो, जिन्होंने अपने अंशदान की अदायगी में चूक की है।

सिन्टा की इसी वित्तीय क्षमता के आधार पर, सिन्टा के कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा पूर्वोक्त मुआवजे की राशि की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।

10. प्रशासन:

एसोसियेशन का कार्य निम्न के द्वारा चलाया जायेगा:

ए. **सामान्य निकाय:** एसोसिएशन के नियमित और आजीवन सदस्यों गठित यह सामान्य निकाय, पर्यवेक्षण निकाय होगा और सिन्टा के संविधान के अनुसार कार्य करेगा। सामान्य निकाय को कार्यकारी समिति के फैसलों की फिर से जांच करने का अधिकार होगा, जहां उसे लगता है कि एसोसिएशन के हितों के साथ समझौता किया गया है। हालांकि इस तरह के विवादास्पद मुद्दों को शांतिपूर्वक और सभ्य ढंग से सुलझाया जायेगा ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति खड़ी न हो।

बी. **कार्यकारी समिति:** कार्यकारी समिति, सिन्टा के संविधान में दिए गए दिशानिर्देशों और प्राधिकरण के अनुसार कार्य करेगी, और सिन्टा के उद्देश्यों को लागू करने और इसके दैनिक कार्यकलापों करने के लिए जिम्मेदार होगी।

11. कार्यकारी समिति:-

एसोसिएशन का संपूर्ण प्रबंधन 21 सदस्यों की कार्यकारी समिति के पास होगा, जिसमें से 15 मतदान द्वारा चुना हुए होंगे, जिन्हें हर तीन साल में वार्षिक साधारण बैठक से 15 दिन पहले मतदान से चुना जायेगा ये सदस्य एसोसियेशन के सदस्यों में से ही चुने जायेंगे। (सह-विकल्प 6 के द्वारा)। 15 निर्वाचित कार्यकारी समिति के सदस्य अपने बीच से ही निम्नलिखित पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे और आगामी वार्षिक आम बैठक में इसकी घोषणा करेंगे: -

अध्यक्ष

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष

महासचिव

कोषाध्यक्ष

वरिष्ठ संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव

- ए. सहयोगित कार्यकारिणी सदस्यों के लिए पात्रता: -वह कम से कम 3 वर्ष तक एसोसिएशन का नियमित सदस्य रहा/रही हो।
- बी. सहयोगित कार्यकारिणी सदस्यों के लिए द्विभाजन; -2 महिलाएं, 2 वरिष्ठ नागरिक और 2 तरुण सदस्य।
- सी. कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष के परामर्श से महासचिव द्वारा निर्धारित दिन, स्थान और समय पर महीने में एक बार मिलेगी। हालांकि, जब आवश्यक हो तब आपात बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।
- डी. सात सदस्यों तथा कम से कम एक कार्यालय पदाधिकारी से कोरम पूरा होगा।
- ई. यदि कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य, पदाधिकारी सहित, पूर्व लिखित नोटिस और / या बिना पर्याप्त कारण दिए, कार्यकारिणी समिति की अवधि के किसी भी वर्ष में आयोजित ऐसी 12 बैठक से कम से कम छह मासिक कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लेने में विफल रहता है, तो वह कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं रहेगा। हालांकि, इस तरह के सदस्य को बनाये रखने का निर्णय कार्यकारिणी समिति के विवेकाधीन होगा। (01.05.2016)
- एफ. किसी अप्रत्याशित स्थिति में पदाधिकारी का पद रिक्त होने पर, कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी समिति के ही किसी सदस्य के द्वारा उस पद को भरेगी। यदि कार्यकारी समिति में किसी भी कारण से रिक्ति होती है, तो कार्यकारिणी समिति सह-विकल्प के माध्यम से, एसोसिएशन के किसी नियमित, आजीवन सदस्यों में से जैसा मामला हो, उस रिक्ति को भरेगी है। कार्यकारिणी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इसकी संख्या एक महीने से ज्यादा समय तक 21 से कम न हो।
- जी. कार्यकारिणी समिति के पास सिन्टा के उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयोजन से उप-समितियों का गठन करने का अधिकार होगा, ताकि सदस्यों तक पहुंच का कार्य तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधियां, जब आवश्यक हो, सुचारु रूप से चल सकें; और एसोसिएशन के नियमित और आजीवन सदस्यों को उप-समितियों में शामिल करने का भी अधिकार होगा।
- एच. प्रत्येक सदस्य तक पहुंचने के लिए कार्यकारिणी समिति को समूह प्रमुख और उप समूह प्रमुखों को तदनुसार नियुक्त करने का अधिकार है। कार्यकारिणी समिति को इन समूह प्रमुखों के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में उचित रणनीति तैयार करने का अधिकार होगा। कार्यकारिणी किसी भी पुरस्कार के लिए हकदार नहीं है, लेकिन कार्यकारिणी समिति को इन समूह प्रमुखों को पुरस्कार देने का अधिकार है।
- आई. अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष नियुक्त की गई ऐसी सभी उप-समितियों के पदेन सदस्य होंगे जो सभी एसोसियेशनों में प्रचलित है।
- जे. कार्यकारिणी समिति को एसोसिएशन के कुशल कार्यसंचालन और सामान्य आचरण के लिए, आवश्यकतानुसार प्रशासनिक नियम बनाने का अधिकार होगा।
- के. उप-नियम कार्यकारिणी समिति के लिए संविधान के अनुसार सिन्टा को संचालित करने के अधिकार प्रदान करेगा अतः, कार्यकारिणी समिति को किसी भी समय किसी भी उप- नियम में संशोधन करने / जोड़ने का अधिकार होगा, बशर्ते कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से 50% से अधिक बैठक में मौजूद हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी सहमति दें।
- एल. यदि कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य (कार्यालय पदाधिकारी सहित) किसी भी तरह के कदाचार, दुर्व्यवहार या एसोसिएशन के हित के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का दोषी पाया जाता है, तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद कार्यकारिणी समिति या इसके द्वारा नियुक्त एक उप-समिति द्वारा उसका स्पष्टीकरण सुना जायेगा। अगर उस सदस्य के साक्ष्य को असंतोषजनक पाया जाता है, तो उस सदस्य को कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्यकारिणी समिति की सदस्यता से निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।
- एम. किसी भी सदस्य ने सिने / टीवी कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और 20 साल या उससे अधिक तक उस व्यवसाय में प्रमुखता से बना रहा और अब एक निर्माता है, लेकिन निर्माता एसोसियेशन में किसी भी पद पर नहीं है या निर्माताओं की कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं है, तो वह सिने एण्ड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन में पद का पात्र है। लेकिन यदि सिने एण्ड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की विवाद निपटारा समिति में किसी भी सदस्य की ओर से उसके खिलाफ शिकायत है तो वह भाग नहीं ले सकता।

12. कार्यकारिणी समिति के कार्य:

- i. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष: अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, एसोसिएशन और कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कार्यकारिणी समिति की सहमति से सामान्य रूप से एसोसिएशन का

प्रतिनिधित्व करेगा। अध्यक्ष / उपाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपस्थित सदस्य बैठक के अध्यक्ष के रूप में अपने में से ही एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता के लिये चुन लेंगे।

- ii. **महासचिव:** महासचिव एसोसिएशन के रोजमर्रा के कार्यों तथा कार्यालय के लिये जिम्मेदार होगा।
- ए. कार्यकारिणी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग के लिए महासचिव जिम्मेदार होगा।
बी. सिन्टा के अध्यक्ष के परामर्श से सभी कार्यकारिणी समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी।
सी। महासचिव को सिन्टा के अध्यक्ष के साथ परामर्श से और कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के अधीन कार्यालय स्टाफ तथा वरिष्ठ प्रशासकों या अधिकारियों या प्रबंधकों या विशेषज्ञों या सलाहकारों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।
- डी. महासचिव, कोषाध्यक्ष के साथ सभी खातों को रखेंगे और प्रतिवर्ष प्राप्ति और व्यय की प्रत्येक मद को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे।
- ई. महासचिव, कोषाध्यक्ष के साथ सभी ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार को सभी रिटर्न और नोटिस प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें जमा करने की आवश्यकता है।
- iii. **संयुक्त सचिव:** संयुक्त सचिव उनके कार्यों और कर्तव्यों के निर्वाह में महासचिव की सहायता करेंगे। महासचिव की अनुपस्थिति में, महासचिव द्वारा नामित संयुक्त सचिवों में से एक, महासचिव के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।
- iv. **कोषाध्यक्ष:**
- ए. कोषाध्यक्ष एसोसिएशन के वित्तपोषण के खातों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा, और कार्यकारिणी समिति को मासिक वित्तीय और साधारण सभा को सालाना रिपोर्ट पेश करेगा।
बी. कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत सभी व्यय के लिए भुगतान स्वीकृति देगा।
सी. कोषाध्यक्ष को दिन-प्रतिदिन के खर्चों को मंजूरी देने का अधिकार होगा।

13. सामान्य साधारण बैठक:-

- i. वर्ष के दौरान कम से कम एक साधारण बैठक आयोजित की जाएगी; वार्षिक साधारण बैठक होने के नाते, इसका आयोजन करने से एक महीने पहले सदस्यों को इसका नोटिस भेजा जाएगा।
- ii. सदस्यों की कुल संख्या का $\frac{1}{4}$ (एक चौथाई) होने पर, रजिस्टर में एसोसिएशन की सभी साधारण बैठकों में कोरम बनायेगा। एक साधारण बैठक में कोरम न होने पर, बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा, बिना किसी नई सूचना के, उसी दिन, उसी स्थान पर, पंद्रह मिनट के बाद। स्थगित बैठक में किसी कोरम की आवश्यकता नहीं। यह नियम कार्यकारिणी समिति की बैठकों पर लागू नहीं होगा।
- iii. किसी भी संकल्प को जिसे सदस्य साधारण बैठक से पहले रखना चाहता है, लिखित तौर पर विधिवत रूप से प्रस्तावित तथा अनुमोदित, कार्यकारिणी समिति को, ऐसी बैठक की तारीख से एक पखवाड़े पूर्व भेजा जायेगा। इसे फिर सदस्यों को डाक से, इलेक्ट्रॉनिक और / या वेब प्रकाशन द्वारा साधारण बैठक (09/04/1978) से कम से कम एक हफ्ते पहले सूचना के लिये भेजा जायेगा।
- iv. संविधान को एक साधारण या असाधारण आम बैठक में एक संकल्प में जोड़ा, निरसन या संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कोई भी संकल्प तब तक पारित किया गया नहीं माना जायेगा, जब तक यह दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से समर्थित न हो और वर्तमान लेकिन मौजूदा कानूनों के अनुरूप हो।
- v. यदि साधारण बैठक में, जहां कम से कम एक चौथाई सदस्य मौजूद हों, पद पर मौजूद किसी सदस्य या सदस्यों की समिति के विरुद्ध साधारण बहुमत से, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उन्हें पद से हटना होगा।
- vi. कोई भी माननीय सदस्य या कोई अन्य निमंत्रित व्यक्ति कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी किए गए निमंत्रण पर कार्यकारिणी समिति या सामान्य सभा या असाधारण सामान्य बैठक में भाग ले सकता है।
- vii. एसोसिएशन के क्रानूनी सलाहकार, कार्यकारिणी समिति की सभा में या साधारण सभा की किसी भी बैठक में पदेन सदस्य के तौर पर बिना निमंत्रण के भी भाग ले सकते हैं।

14. सामान्य साधारण बैठक में कार्य:-

- i. वार्षिक साधारण बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की जायेगी।

- (ए) एसोसिएशन की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट पेश करना, पिछली वार्षिक महासभा के कार्यवृत्त की पुष्टि करना और महासचिव द्वारा कार्यसूची में रखा गया अन्य कोई मामला।
- (बी) लेखा के वार्षिक लेखापरीक्षा को अपनाना और लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना और उनके पारिश्रमिक को तय करना।
- (सी) वार्षिक महासभा, कार्यकारी समिति द्वारा किये गये कार्यों की गतिविधि-रिपोर्ट की प्रस्तुति तथा ऐसी अन्य कार्यसूचियों जिनके विषय में सदस्यों को अग्रिम सूचना देना आवश्यक हो, सहित विशिष्ट महत्त्वपूर्ण कार्यसूची के लिए पूर्व-निर्धारित होती है। तदनुसार, सदस्यवार्षिक महासभा की तारीख से 15 दिन पहले सिन्टा कार्यालय को अपने प्रश्न / टिप्पणियाँ / सुझाव, यदि कोई हों, तो भेज सकते हैं। सिन्टा द्वारा सदस्यों को भेजी गयी सूचना लिखित रूप में होगी और सदस्यों को ईमेल / कूरियर / डाक द्वारा सूचनाओं के भेजते समय सिन्टा के रिकॉर्ड में उपलब्ध ईमेल पतों / पतों पर भेजी जाएगी और इसे विधिवत रूप से भेज दिया गया समझा जाएगा। यह सदस्यों का स्वयं का दायित्व होगा कि वे सिन्टा को अपने पते में परिवर्तन के विषय में सूचित करें, और उक्त सूचना को भेजने के प्रयोजन के लिए भेजने की तारीख से कम-से-कम 15 दिन पहले सिन्टा के रिकॉर्ड में उपलब्ध पते को ही ऐसे प्रेषण तथा वितरण के लिए सही पता मना जाएगा जैसा कि ऊपर कहा गया है, कार्यकारी समिति सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का आकलन करेगी और यदि वे उक्त वार्षिक महासभा में चर्चा के उपयुक्त पाये गये, तो उन्हें उस वक्त समय सीमाओं को देखते हुए, वार्षिक महासभा में रखेगी। कार्यकारी समिति के सदस्यों के द्वारा अंतिम रूप प्रदान करने के बाद वार्षिक महासभा की कार्यसूची में शामिल किये गये प्रश्नों के अलावा, अन्य किसी प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि सदस्यों की ओर से अन्य कोई प्रश्न / टिप्पणियाँ / सुझाव पेश करना आवश्यक हो, तो इनका उत्तर लिखित में तभी दिया जाएगा जब इन्हें सदस्यों द्वारा ऐसे उत्तर के लिए सिन्टा के कार्यालय में जमा किया गया होगा। सभी वार्षिक महासभाओं को सभी सदस्यों के लिए उपयोगी और लाभकारी बनाने के लिये, उन सदस्यों सहित जो पूर्व-निर्धारित कार्यसूची के अनुसार इन सभाओं में भाग लेते हैं, वार्षिक महासभा के लिए कार्यकारी समिति द्वारा अंतिम रूप दी गयी कार्यसूची में शामिल प्रश्नों / टिप्पणियों / सुझावों को छोड़ कर अन्य किसी भी प्रश्न / टिप्पणी / सुझाव को वार्षिक महासभा में स्वीकार नहीं किया जाएगा या उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा, जब तक कि अध्यक्ष उसको आवश्यक न समझें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सदस्य प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण संकल्पों और प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों या परिवर्धनों पर अपने विचार व्यक्त कर सकें, प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण संकल्पों / संशोधनों / परिवर्धनों पर मतदान से पहले कार्यकारी समिति 20 मिनट का “शून्यकाल” रखेगी। सदस्य वार्षिक महासभा की तारीख से 15 दिन पहले सिन्टा के कार्यालय में लिखित में सुझाव दे सकते हैं कि “शून्यकाल” के लिए कौन-सा समय-खंड निर्धारित किया जाए। (कृपया ध्यान दें कि एसोसिएशन का कार्यालय सोमवार से शनिवार तक सभी दिन सुबह 10.30 बजे से शाम 7.30 बजे के बीच खुला रहेगा। रविवार और बैंक छुट्टियों को छोड़ कर) (01.05.2016) (01.05.2016)

15. असाधारण आम बैठक:

एक असाधारण आम बैठक कार्यकारिणी समिति द्वारा अपने अधिकार से या एसोसिएशन के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की लिखित और हस्ताक्षरित मांग पर बुलाई जाएगी। एसोसिएशन के सदस्यों को अडतालीस घंटे के नोटिस पर ऐसी बैठक बुलाई जा सकती है। किसी भी सदस्य को उसके अलावा अन्य विषय पर चर्चा करने की अनुमति नहीं होगी जिसके लिए बैठक बुलाई गई है। यदि अध्यक्ष या महासचिव ऐसी बैठक बुलाई जाने में विफल रहते हैं, तो मांगकर्ता खुद उपयुक्त नोटिस देकर ऐसी बैठक बुला सकते हैं, उपयुक्त नोटिस देने के बाद मांगकर्ता कार्यकारिणी समिति अपनी पृष्ठताछ/व्यथा वेबसाइट पर डालने के लिए कहेगा ताकि सदस्य उस पर अपना मत डाल सकें। एसोसिएशन का कार्यालय उसे सभी सदस्यों को सूचित करने में सहयोग करेगा। पृष्ठताछ/व्यथा वेबसाइट पर डालने के 15 दिन के बाद यदि उसके पक्ष में पडने वाले कुल मतों की संख्या एसोसिएशन के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक या उसके बराबर है, तो तभी मांगकर्ता को असाधारण सामान्य बैठक बुलाने की अनुमति होगी और बैठक के लिए किया गया खर्चा और कार्यवाही एसोसिएशन पर बाध्यकारी होगी।

16. सामान्य निधि:

एसोसिएशन के जनरल फंड में सदस्यों से सदस्यता शुल्क, वर्क-परमिट से प्रवेश शुल्क, आजीवन-सदस्यता शुल्क, दान और मान्यता प्राप्त स्रोतों से उत्पन्न आय आदि शामिल होंगे। उन्हें कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित बैंक/ बैंकों में एसोसिएशन के नाम पर जमा किया जाएगा। और ये खाते कोषाध्यक्ष और किसी भी एक अध्यक्ष या महासचिव द्वारा संचालित किया जाएगा। महासचिव या कोषाध्यक्ष रोजमर्रा के खर्चों के लिए कार्यालय में 15,000 / - रुपये (पन्द्रह हजार केवल रुपये) से अधिक की नकदी नहीं रखेंगे।

कार्यकारिणी समिति के पास ऐसे धन को खर्च करने का अधिकार होगा, क्योंकि एसोसिएशन की गतिविधियों तथा उसकी देखभाल के लिए जरूरी होगा. समिति ऐसे उपाय अपना सकती है जो एसोसिएशन के कोष को बढ़ाए. इसके लिए कोष बढ़ाने वाले कार्यक्रम करना तथा दानदाताओं को निमंत्रित करना आदि

- ए. प्रयोजन जिनके लिये सामान्य निधि व्यय की जा सकती है:
- भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 15 के प्रावधानों के अधीन एसोसिएशन के सामान्य निधियों को निम्नलिखित को छोड़कर अन्य प्रयोजनों पर खर्च नहीं किया जाएगा, अर्थात: -
- i. एसोसिएशन के कर्मचारियों, सलाहकारों, रिटैनों और अन्य सेवा प्रदाताओं को वेतन, भत्ते और अन्य लाभ।
 - ii. एसोसिएशन के सामान्य निधि के खातों की लेखा परीक्षा सहित एसोसिएशन के प्रशासन के लिए खर्च का भुगतान।
 - iii. किसी भी कानूनी कार्यवाही का अभियोजन या बचाव, जिसकी कि एसोसिएशन या सदस्य एक पक्ष है, जब इस तरह का अभियोजन या बचाव एसोसिएशन के किसी भी अधिकार को सुरक्षित या संरक्षित करने के उद्देश्य से किया जाता है, या कोई अधिकार जो नियोक्ता के साथ किसी सदस्य के या उस व्यक्ति के संबंध जिनके साथ सदस्य कार्यरत हैं, से उत्पन्न हुआ हो। कार्यकारिणी समिति उन सदस्यों को अपने विविकानुसार कानूनी या आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है, जो केस लड़ रहे हैं और जिनके साथ सिन्टा उद्देश्यों का संबंध है कि वह अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करेगी।
 - iv. एसोसिएशन या उसके किसी भी सदस्य की ओर से ट्रेड विवाद का संचालन,
 - v. ट्रेड विवादों से सदस्यों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति;
 - vi. अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एसोसिएशन द्वारा अपनाई गई किसी भी गतिविधि या पहल से उत्पन्न होने वाले और मुंबई की सीमा के बाहर सिन्टा का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी बैठक पर होने वाले व्यय।
 - vii. सदस्यों के लिये चिकित्सा या अन्य कल्याण भत्ते उन संबंधित उप-समितियों द्वारा जो ऐसी सिफारिशों के लिये जिम्मेदार हैं तथा जिन्हें कार्यकारिणी समिति ने अनुमोदन प्रदान किया है।
 - viii. एसोसिएशन की साधारण बैठक, वेबसाइट, डिजिटल-ऐप या अन्य किसी प्रकाशन या संचार गतिविधि से संबंधित व्यय।
 - ix. अपने किसी भी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के किया जाने वाला खर्च, जो कि एसोसिएशन की सामान्य निधि से होने वाला है, या ऐसा कोई आर्थिक योगदान जो सामान्य रूप से सदस्यों के कल्याण के लिए हो, ऐसे किसी भी खर्च, या योगदान की राशि, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल सकल आय के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी जो उस समय तक एसोसिएशन की सामान्य निधि के लिए जमा की गई है, जो कि उस वर्ष के आरम्भ में उस कोष में जमा है; उपरोक्त व्यय के सीमा के अतिरिक्त, सिन्टा समिति द्वारा यदि कोई भी भुगतान / योगदान / व्यय किया जाता है तो उसकी स्वीकृति 'वार्षिक सामान्य सभा' या इस कार्य हेतु बुलाई गई 'विशिष्ट सामान्य सभा' से लेनी होगी।
 - x. अधिसूचना में निहित किसी भी शर्त के अधीन, सरकारी गैजेट में उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई वस्तु।
 - xi. भारत और विदेशों में आयोजित सेमिनारों / कार्यशालाओं / पहुंच तथा अन्य गतिविधियां जो भी उचित लगे, का आयोजन करने वाले और / या शामिल होने वाले प्रतिष्ठित आगंतुकों को कुछ स्मृति चिन्ह या भेंट से संबंधित खर्च।

17. लेखापरीक्षा:

- ए. एसोसिएशन द्वारा लेखा परिक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो वर्ष में एकबार वार्षिक साधारण सभा की सूचना तिथि से कम-से-कम 15 दिन पहले एसोसिएशन के खाते का लेखा परिक्षण करेंगे, और बैलेंस शीट तैयार करेंगे, और उसकी की शुद्धता को प्रमाणित करेंगे, और उनकी रिपोर्ट को वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

बी. बही-खातों की जांच:

एसोसिएशन के खातों की किताबें, महासचिव की पूर्व अनुमति से एसोसिएशन के कार्यालय में किसी भी सदस्य या अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी। एसोसिएशन का कार्यालय छुट्टियों को छोड़कर, खुला रहेगा। तथापि, एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बिना

किसी पूर्व सूचना / महासचिव की अनुमति के कार्यालय के समय के दौरान खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करने की स्वतंत्रता होगी।

18. चुनाव:

- ए. एक अवधि यानी तीन वर्ष की समाप्ति से 15 दिन पहले चुनाव कराये जायेंगे।
- बी. यह सुनिश्चित करने के लिये कि सदस्य अधिकतम संख्या व्यक्ति तौर पर या ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से मतदान में भाग लें, चुनावों को ई-वोटिंग / मैनुअल के माध्यम से 3 दिनों के लिए सिन्टा के कार्यालय में वार्षिक आम बैठक से 15 दिन पहले आयोजित किया जाएगा। पात्र वोटिंग सदस्यों के अनुरोध पर 3 दिनों के लिए सिन्टा के कार्यालय में ई-वोटिंग के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान की जायेगी।
- सी. कोई भी नियमित सदस्य जिसका सदस्यता शुल्क बकाया में नहीं है और कोई भी नियमित या आजीवन सदस्य जिसकी सदस्यता निलंबित नहीं की गई है, वह कार्यकारिणी समिति का चुनाव लड़ने के लिए स्वयं को मनोनयन का पात्र है, बशर्ते वह सम्बद्ध अनुभाग में दी गई पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।
- डी. प्रॉक्सी से मतदान की अनुमति नहीं होगी।

ई. पात्रता:

- i. कोई भी सदस्य तब तक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा जब तक उसने एसोसिएशन की नियमित सदस्यता की सातसालकी न्यूनतम अवधि पूरी न की हो। (01.05.2015) सिन्टाकी कार्यपालक समिति के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरने वाले उम्मीदवार को 5000/- रुपये की राशि जमा करनी होगी। यदि उम्मीदवार को डाले गये मतों के 10% से भी कम मत मिलते हैं तो उसकी जमानत जप्त कर ली जायेगी।
- ii. कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को निष्पक्ष रूप से काम करन और सिन्टा के उद्देश्यों को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाना है, तदनुसार यदि सिन्टा का कोई सदस्य व्यापार / पेशे / कास्टिंग समन्वयक और / या कास्टिंग निर्देशक के काम में संलग्न है तो वह सिन्टा का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना जायेगा और न ही उसे कोई मतदान का अधिकार होगा। हालांकि, वह फिल्म उद्योग में नियोजित एक सिने और टीवी कलाकार के रूप में सदस्यों के लिए उपलब्ध सभी अन्य लाभों का हकदार होगा, जब तक कि समन्वयक कोई ऐसा कार्य नहीं करता है, जो कार्यकारिणी समिति की राय में एक कलाकार के पेशे के प्रतिकूल हो और किसी भी तरह से सिन्टा के उद्देश्यों को हानि पहुंचाता हो, जिसमें कार्यकारिणी समिति को उसे सदस्यता से निष्कासित करने का अधिकार है, और सिन्टा पर उसका कोई दायित्व नहीं आता। (1 01.05.2016)
- iii. यदि कोई सिन्टा का सदस्य पहले ही किसी निर्माता एसोसियेशन या गिल्ड की कार्यकारिणी समिति (या समकक्ष समिति) का सदस्य है, तो वह सिन्टा की कार्यकारिणी समिति के पद के लिये चुनाव लड़ने का पात्र नहीं है। (यदि कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य या पदाधिकारी, निर्माता एसोसियेशन या गिल्ड की कार्यकारिणी समिति (या समकक्ष समिति) का सदस्य बनता है तो उसे सिन्टा की कार्यकारिणी समिति के पद से इस्तीफा देना होगा।
- iv. उम्मीदवार सिन्टा के कार्यालय को यह शपथ-पत्र देगा कि वह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है या उसमें विवरण देना होगा।

एफ. प्रक्रिया:

- i. वोटिंग मैनुअल / ऑनलाइन प्रोसेसिंग (ई-वोटिंग) से, कार्यकारिणी समिति द्वारा विशेषज्ञों के परामर्श से परीक्षण करने और पूरी सुरक्षा की पुष्टि हो जाने के बाद की जायेगी।
- ii. कार्यालय के पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यों के साथ, चुनाव के तीन दिनों के दौरान सेवा समिति के रूप में कार्य करेंगे।

- iii. चुनाव से पहले, कार्यपालक समिति एक चुनाव समिति नियुक्त करेगी। चुनाव समिति में एसोसिएशन के कम-से-कम पांच ऐसे सदस्य शामिल होंगे जो चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे और कम-से-कम 7 वर्षों से एसोसिएशन के नियमित सदस्य होंगे।
- iv. उम्मीदवारी / नामांकन पत्रों की प्राप्ति के बाद कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त चुनाव समिति द्वारा उनकी उम्मीदवारी की वैधता सुनिश्चित करने के लिए उनकी छानबीन की जाएगी और, यदि अवैध पाये गये, तो ऐसी उम्मीदवारी / नामांकन आवेदन को चुनाव समिति द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- v. चुनाव समिति के प्रमुख एक जांचकर्ता होंगे, जोकि एसोसिएशन के सदस्य नहीं बल्कि कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त एसोसिएशन के लेखा-परीक्षक / कानूनी सलाहकार होंगे।
- vi. जांचकर्ता चुनाव समिति के साथ मिल कर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणामों की घोषणा करेंगे। प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या घोषित / वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- vii. चुनाव और वार्षिक साधारण बैठक के दौरान मौजूदा कार्यकारिणी समिति, नव-वाचित कार्यकारिणी समिति को, यदि वह चाहे, वार्षिक रिपोर्ट के साथ संकल्प, लेखा आदि समझाएगी / स्पष्ट करेगी। यदि नव निर्वाचित समिति की कोई आपत्ति / सुझाव हैं, तो नव-निर्वाचित कार्यकारिणी समिति को वार्षिक आम बैठक में बोलने का समय आवंटित किया जाएगा।
- viii. चुनाव तथा वार्षिक महासभा के बीच के अंतराल में वर्तमान कार्यकारी समिति को नव-निर्वाचित सदस्यों को कार्यकारी समिति की सभी बैठकों में आमंत्रित करना होगा। नव-निर्वाचित सदस्यों को आवश्यक होने पर कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वर्तमान कार्यकारी समिति का यह दायित्व होगा कि वह इसका आयोजन करे।

जी. **रिक्तियां एवं पुनः चुनाव:**

- i. सदस्यता के समापन, मृत्यु या बीमारी या इस्तीफे या निवास स्थानांतरित या कार्यकारिणी समिति या साधारण समिति के किसी भी निर्देश के कारण पदाधिकारी की रिक्ति के मामले में, उसे कार्यकारिणी समिति के एक निर्वाचित सदस्य द्वारा भरा जाएगा।
- ii. किसी भी वजह से कोषाध्यक्ष के पद की रिक्ति के मामले में, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के बीच नए कोषाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए निर्वाचित कार्यकारिणी समिति के भीतर ही फिर से चुनाव कराया जाएगा। पुनः चुनाव की अंतराल अवधि में, अध्यक्ष और महासचिव बैंक खातों का संचालन करेंगे और नियमित वित्तीय मामलों की देखभाल करेंगे।
- iii. यदि इस्तीफे या अन्य कारणों से एक ही समय में कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों के 50% या अधिक पद एक ही समय में खाली हो जाते हैं; तो मौजूदा कार्यकारिणी समिति को तुरंत भंग कर दिया जाएगा और नए चुनावों का आयोजन कराया जाएगा।

19. **सदस्यता रजिस्टर:-**

एसोसिएशन सभी सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी जिसके उनके नाम और विवरण शामिल होंगे। यह रजिस्टर किसी भी सदस्य या कार्यालय के अधिकारियों द्वारा वैध प्रयोजन के लिए मुख्यालय में एसोसियेशन के कार्यालय समय के दौरान किसी भी दिन, अवकाश को छोड़कर, महासचिव से पूर्व अनुमति से निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

20. **संविधान की व्याख्या:-**

संविधान और उसके निर्माण और प्रभाव की व्याख्या कार्यकारिणी समिति के पास रहेगा; और कार्यकारिणी समिति द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय अंतिम और सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

21. **एसोसियेशन का विलयन:-**

एसोसिएशन को, इसी उद्देश्य के लिए बुलाए गई सामान्य समिति में मौजूद तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत के अलावा भंग नहीं किया जाएगा, बशर्ते ऐसी बैठक में डाली गई कुल मतों की कुल संख्या का, उस समय एसोसिएशन की सूची में मौजूद सदस्यों के दो-तिहाई से कम न हो।

सभी देनदारियों को पूरा करने के बाद एसोसिएशन के धन का निपटारा तब के मौजूदा व्यापार संघ कानूनों के अनुपालन में विलयन बैठक के निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

22. एफिलीएशन

सिन्टा एक राजनीतिक दल नहीं है और किसी भी राजनीतिक दल के एक सहयोगी के रूप में जाना जाने का इरादा नहीं है, तदनुसार सिन्टा एक संघ के रूप में किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबद्ध नहीं है और / या सहयोगी नहीं होगी और किसी भी राजनीतिक दल के प्रचार में सीधे और / या परोक्ष रूप से शामिल नहीं होगी।

उप-नियम

अनुबंध

1. हमारे एसोसिएशन का कोई भी सदस्य तब तक काम करना शुरू नहीं करेगा या करना जारी नहीं रखेगा जब तक कि वह निर्माता के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर न करे। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 15 दिन के भीतर सदस्य उस अनुबंध की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।
2. सदस्य के अधिकार और दायित्व:
 - i. **नियमित और आजीवन सदस्य के अधिकार:**
 - ए. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने का अधिकार; चर्चाओं में भाग लेना और इसके प्रस्तावों पर वोट करना।
 - बी. विवाद निपटान के लिए मध्यस्थता/ समाधान के लिये आवेदन करने का अधिकार।
 - सी. एसोसिएशन की सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार, जो एसोसिएशन समय-समय पर अपने सदस्यों को प्रदान करती है।
 - डी. प्रत्येक आयोजन के लिए घोषित नियमों और शर्तों के मुताबिक, एसोसिएशन के सभी सदस्यों के लिए सिन्टा आयोजनों में भाग लेने का अधिकार।
 - ई. सिन्टा चुनावों में वोट देने का अधिकार, और सम्बद्ध अनुभाग में उल्लिखित पात्रता के आधार पर, कार्यकारिणी समिति के चुनाव के लिए खड़े होने का अधिकार।
 - ii. **वर्क परमिट और अप्रवासी भारतीय:**
 - ए. विवाद निपटान के लिए मध्यस्थता/ समाधान के लिये आवेदन करने का अधिकार।
 - बी. एसोसिएशन की सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार, जो एसोसिएशन समय-समय पर अपने सदस्यों को प्रदान करती है।
 - सी. प्रत्येक आयोजन के लिए घोषित नियमों और शर्तों के मुताबिक, एसोसिएशन के सभी सदस्यों के लिए सिन्टा आयोजनों में भाग लेने का अधिकार।
 - iii. **सदस्यों की जिम्मेदारियां और दायित्व:**
 - ए. गरिमा, अखंडता, पवित्रता बनाये रखना और एसोसिएशन तथा उसके सदस्यों के साथ खड़े रहना।
 - बी. उपलब्धियों / असफलताओं से एसोसिएशन को वाकिफ कराते रहना।
 - सी. लोगों तक पहुंचना या जब कभी आवश्यक हो, किसी अन्य स्वैच्छिक सेवाओं के लिए निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने में एसोसिएशन का समर्थन करना।
 - डी. एसोसिएशन के 'क्या करें', 'क्या न करें' का पालन करना।
 - ई. अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शुल्क को अद्यतन करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है।
 - एफ. एसोसिएशन के आयोजनों, एजीएम, बैठकों और एसोसिएशन कार्यालय में एक सम्मानजनक, शांत और सभ्य तरीके से व्यवहार करना।
3. **वर्क परमिट के लिये आवश्यक दस्तावेज:-** (आवेदन फॉर्म 150/- रुपये ((गैर वापिसी योग्य), हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो, जन्मतिथि का प्रमाणपत्र, वर्तमान स्थायी पता प्रमाणपत्र)।
4. **उप-समितियां:** एक उप-समिति की संख्या, संयोजक और / या अध्यक्ष सहित सात से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक उप-समिति समय-समय पर कार्यकारी समिति को रिपोर्ट करेगी।